न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

प्रकरण संख्या 14/11 तारीख रजू 10/01/2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री बत्तीलाल पुत्र मूलाराम जाति मीना निवासी आदर्श नगर थाना गंगापुर सिटी।
––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 14/07/2017

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री बत्तीलाल पुत्र मूलाराम जाति मीना निवासी आदर्श नगर थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना गंगापुर सिटी मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	768/09	29/12/09	13 आरपीजोओ	362	31/12/09	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2.	371/10	24/06/10	13 आरपीजोओ	190	03/06/10	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए 100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया । गैरसायल कस्बा गंगापुर सिटी के बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना, जुआं खेलना, बीडी पीना सीखा गया इस प्रकार बूरी आदतों में पड़ जाने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाले नागरिकों को सट्टा की लगाईवाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

23/A

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 768/09 व 371/10 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के छ माह की समयावधि में दो बार दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैर सायल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाले नागरिकों को सट्टा की लगाईवाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसालय को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। मुकदमा संख्या 768/09 व 371/10 आरपीजीएक्ट से सम्बन्धित है जो गुण्डा एक्ट की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि उक्त अपराध सिर्फ अर्थदण्ड से निस्तारित होते है। पुलिस ने गैरसायल के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें गैरसायल को दो प्रकरणों में संबंधित न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की भावना से अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोषमुक्त किया गया है । सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल को दो मुकदमें में ही द्वोष सिद्व किया गया है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसालय ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुंचा हु कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल को दो मुकदमें में ही दोषसिद्व किया गया है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर